

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 20.

क्रमांक:- भू.अ. / 20 . /

प्रेषितः श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय चित्तौडगढ

महोदय, पिता मोहनलाल 2066-69

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री लालि साठवी राजस्व ग्राम चन्देरिया में जमाबन्दी संवत 1956 प.ह. रोलाहडा के खाता संख्या 992 में जाति / नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति / नाम साठवी किये जाने की रिपोर्ट की है। उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से सबधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है / दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- शीडर / 2025 / 840

दिनांक:- 17/10 / 2025

निमित्त पटवार हल्का रोलाहडा

विषय:- सम्मानजनक जाति / नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री लालि साठवी पिता मोहनलाल राजस्व ग्राम चन्देरिया प.ह. रोलाहडा की खाता संख्या 992 में जाति / नाम साठवी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति के रूप में रिपोर्ट पटवारी प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री लालि साठवी पिता मोहनलाल साठवी जाति / नाम साठवी एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. राजस्व रिपोर्ट उपरोक्तानुसार अपल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ